



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 13( )पंरावि/शिका/वि.अ./प्रशा.1/अनुपगढ/श्रीगंगा/2020/528 जयपुर, दिनांक 14/05/2020

**आदेश**

श्री धीरज बाकोलिया, विकास अधिकारी पंचायत समिति अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (उच्च शिक्षा) को लौटायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र क्रमांक 506 दिनांक 27.4.2020 के अनुसरण में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरियताक्रम में संभलवाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग (उच्च शिक्षा) के मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव चतुर्वेदी)  
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर
7. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सभागीय आयुक्त बीकानेर।
9. जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर।
10. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर।
12. ए.सी.पी कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
13. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ
14. विकास अधिकारी संस्थापन शाखा, मुख्यालय।
15. आदर्श पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)